है।

## बुरा व्यवहार करने वाले यात्रियों से निपटने को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया मसौदा सीएआर

Posted On: 05 MAY 2017 7:25PM by PIB Delhi

नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू और राज्य मंत्री जयंत सिंह ने आज बुरा व्यवहार करने वाले यात्रियों से निपटने के तरीको के मुद्दे को लेकर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि यात्रियों, कुरू व विमान की सुरक्षा के लिए  बुरा
निषटन के तिरोजा के नुद्द को लेकर नाडियों को तियाचित किया रिज्होंने बताया कि योत्तिर्या, क्रिय विनान को सुरद्धा कालएं चुरा व्यवहार करने वाले यात्तिरयों से निपटने के तरीके पर सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) संशोधित किया जा रहा है। प्रेस सम्मेलन के दौरान नागरिक उड्डयन सचिव शरी आर. एन. चौबे ने सीएआर मसौदे की जानकारी दी।
राग्यालयं का काराव वागारका उर्जनम् सावक स्रोत आर. हमा. बाच मे साहुआर मसाव का जामकारा का ।
प्रस्तावित सीएआर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

ख) विमान कंपनियां इस तरह के यात्रियों का एक डाटाबेस तैयार करेंगी जिससे बुरा व्यवहार करने वाले यात्रियों की एक राष्ट्रीय नो-

फ्लाय सूची बनाई जाएगी। एमएचए द्वारा चिन्हित राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक व्यक्तियों को भी राष्ट्रीय नो-फ्लाय सूची में डाला जाएगा। विमान कंपनियां व्यक्तियों को उनके नाम व राष्ट्रीय नो-फ्याय सूची में उनका नाम डाले जाने की वजह भी भेजेगी।

क) बुरे व्यवहार को तीन श्रेणियों में परिभाषित किया गया है - पहले स्तर के तहत बुरे बर्ताव से बाधा डालने वाले व्यवहार को रखा गया है, दूसरे स्तर में शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार रखा गया है और तीसरे स्तर में जान को खतरे में डालने वाला व्यवहार रखा गया

ग) विमान कंपनियों के पास यह विकल्प होगा कि वह नो-फ्लाय सूची में शामिल बुरा बर्ताव करने वाले व्यक्तियों को भारत से/भारत के भीतर/भारत के लिए विमान यात्रा करने से प्रतिबंधित कर सकती है। प्रतिबंध की अविध तीन माह से लेकर अधिकत दो साल तक हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बुरा व्यक्त को पिछली प्रतिबंध की अविध से दोगुना अविध के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

घ) ऐसे मामलों में शिकायत निपटाने के लिए दो स्तरीय तंत्र का प्रावधान किया गया है - एक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अगुवाई वाली आंतरिक समिति की तरफ से एयरलाइंस के स्तर पर प्रारंभिक जांच। अपील दाखिल करने पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वावधान में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा। सचिव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों समेत अन्य विमानन कंपनियों को नो फ्लाय सूची पर विचार करने का अधिकार होगा। वह चाहे तो व्यक्ति या समूह के प्रतिबंध की अविध को बढ़ा भी सकती है। हालांकि नो-फ्लाय सूची में शामिल सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिन्हित व्यक्तियों को अपील करने का अधिकार नहीं होगा। सीएआर मसौदा देखने के लिए यहां क्लिक करें \*\*\*\* वीके/केजे/पीवी/डीए-1282 (Release ID: 1489348) Visitor Counter: 12